

महर्षि वाल्मीकि संस्कृत विश्वविद्यालयः

Maharshi Valmiki Sanskrit University

(हरियाणामर्चकाराधिनियम २०/२०१८ द्वारा संस्थापितः)

Established by Government of Haryana Act 20/2018

मौनधारा (मून्डडी), कपिष्ठलम् (कैथलनगरम्) १३६०२७, हरियाणा
MAUNDHARA (Mundri), KAPISHTHLAM (Kaithal) - 136027 (HARYANA)



क्रमाङ्कः/S.No. :- MVSU/DOC/2025/२५९

दिनाङ्कः/Dated:- ०३-१०-२०२५

प्रेषित

निदेशक,

सिटी नेक्सस महाविद्यालय (SFS),

बालसमन्द रोड, वी.पी.ओ. आर्य नगर, हिसार, हरियाणा -125004।

ई-मेल: ccehisar2008@gmail.com दूरभाष: 9518275416, 8607022122

विषय: सिटी नेक्सस महाविद्यालय को शास्त्री (स्नातक) में सत्र 2026-27 से अस्थाई सम्बद्धता प्रदान करने बारे।

यह पत्र आपके पत्र क्रमांक CCE/Nexus/Affiliation/fees/2079 दिनांक 13/09/2025 के संदर्भ में।

आपको यह सूचित किया जाता है कि दिनांक 25.08.2025 की निरीक्षण समिति की रिपोर्ट को माननीय कुलपति महोदय की स्वीकृति विश्वविद्यालय अधिनियम, 2018 की धारा 11(7) के अंतर्गत, कार्यकारी परिषद के अनुमोदन की प्रत्याशा में आपके महाविद्यालय को सत्र 2026-27 से स्व-वित्त आधार पर निम्न पाठ्यक्रमों में अस्थाई संबद्धता प्रदान की जाती है, जो विश्वविद्यालय की निरीक्षण समिति द्वारा लगाई गई शर्तों को पूरा करने के अधीन है:-

क्र.सं.	विषय का नाम	प्रवेश (Intake)
1.	शास्त्री (स्नातक)	30

आपसे यह भी अनुरोध है कि आप निरीक्षण समिति द्वारा लगाई गई निम्नलिखित टिप्पणियाँ/सिफारिशों/शर्तों को पूरा करें तथा निर्धारित अवधि के भीतर अनुपालन रिपोर्ट, सम्बन्धित दस्तावेजों सहित अधोहस्ताक्षरी को प्रस्तुत करें:-

1. महाविद्यालय को चार माह के अन्दर पूर्व में सम्बन्धित विश्वविद्यालय से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना है।
2. महाविद्यालय द्वारा प्रधानाचार्य, पुस्तकालयाध्यक्ष, शैक्षणिक एवं गैर-शैक्षणिक पदों की नियुक्ति UGC/State Govt./University के नियमों के अनुसार करनी है।
3. महाविद्यालय द्वारा Endowment Fund का उचित प्रबन्धन करना है।
4. महाविद्यालय द्वारा Governing Body का गठन करना है।
5. महाविद्यालय द्वारा समिति को दिए गए सभी वचन पत्र (Undertaking) की पूर्ति करनी है।
6. महाविद्यालय द्वारा प्रथम वर्ष में 20000/- रुपये की पुस्तकें सम्बन्धित विषय की खरीदनी है और आगे छात्रों की आवश्यकता के अनुसार बढ़ाई जा सकती है।
7. महाविद्यालय द्वारा प्रथम वर्ष में 50000/- रुपये का फर्नीचर खरीदना है और यक्षशाला का निर्माण करना है।
8. महाविद्यालय को भविष्य में कक्षाओं के सभी आवर्ती और गैर-आवर्ती व्यय स्वयं वहन करने है। विश्वविद्यालय पर किसी भी स्तर पर किसी भी प्रकार की कोई वित्तिय देनदारी नहीं होगी।
9. महाविद्यालय द्वारा सभी मामलों के संबंध में विश्वविद्यालय के कैलेंडर, अध्यादेशों और नियमों एवं विनियमों का पालन करना है।
10. महाविद्यालय द्वारा सभी शर्तों का किसी भी प्रकार से उल्लंघन करने पर संबद्धता रद्द कर दी जाएगी और सोसायटी/महाविद्यालय के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।

पृष्ठांकन संख्या म. वा. सं. वि./2025/२६०-६७

अधिष्ठाता (महाविद्यालय)

दिनांक. ०३-१०-२०२५

उपरोक्त की एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

1. महानिदेशक, उच्चतर शिक्षा विभाग, हरियाणा, सैक्टर-5 पंचकूला।
2. अधिष्ठाता शैक्षणिक, महर्षि वाल्मीकि संस्कृत विश्वविद्यालय, कैथल।
3. उप-निदेशक, स्थानीय लेखा शाखा, महर्षि वाल्मीकि संस्कृत विश्वविद्यालय, कैथल।
4. वित्ताधिकारी, महर्षि वाल्मीकि संस्कृत विश्वविद्यालय, कैथल।
5. अधीक्षक, पंजीकरण शाखा, महर्षि वाल्मीकि संस्कृत विश्वविद्यालय, कैथल।
6. शैक्षणिक शाखा, महर्षि वाल्मीकि संस्कृत विश्वविद्यालय, कैथल को निर्देशित किया जाता है कि उक्त महाविद्यालय के प्रवेश व अन्य सम्बन्धित कार्यों का क्रियान्वयन करें।
7. कुलपति कार्यालय (कुलपति महोदय के सूचनार्थ), म. वा. सं. वि. कैथल।
8. कुलसचिव कार्यालय (कुलसचिव महोदय के सूचनार्थ), म. वा. सं. वि. कैथल।

सहायक (महाविद्यालय)

Office : Dr. B. R. Ambedkar Govt. College, Jagdishpura, Kaithal-136027 (Haryana)

कार्यालय: - डॉ. बी. आर. अम्बेडकर राजकीय महाविद्यालय, जगदीशपुरा, कैथल - १३६०२७, हरियाणा